"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 219] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 15 सितम्बर 2005—भाद्र 24, शक 1927

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-103/2004/38.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम, 1990 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) अनुसूची तीन के सरल क्र. (दो). में कॉलम (5) में "30 वर्ष" के स्थान पर "32 वर्ष" स्थापित की जाए.

(2) अनुसूची तीन के सरल क्र. (दो) में कॉलम (6) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जायें, अर्थात् :—

"(क) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक के साथ अथवा ग्रेडिंग पद्धति में ग्रेड-बी, सात बिन्दुओं सहित सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा किसी भारतीय विश्वविद्यालय से अथवा विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि.

नोट :—यू.जी.सी. की परिवर्तन तालिका के अनुसार प्रतिशत अंकों में परिवर्तित किया जावेगा, जो निम्नानुसार है :—

Grade	Grade point	% Equivalent
O	5.50-6.00	75-100
A	4.50-5.49	65-74
B	3.50-4.49	55-64
C	2.50-3.49	45-54
D	1.50-2.49	35-44
E	0.50-1.49	25-34
F	0.00-0.49	0-24

(ख) उपरोक्त अर्हताओं के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा सहायक प्राध्यापकों के लिए आवश्यक पात्रता परीक्षा (NET) जिसे यू.जी.सी., सी.एस.आई.आर. या छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा संचालित SLET परीक्षा उत्तीर्ण किया हो."

(3) अनुसूची तीन के सरल क्र. (दो) में कॉलम (7) में निम्नलिखित जोड़ा जाए :—

"(क) सहायक प्राध्यापक पद हेतु पी-एच.डी. अभ्यर्थियों को भी नेट/स्लेट की अनिवार्यता होगी. तथापि वे अभ्यर्थी जो 31 दिसम्बर, 1993 तक एम. फिल. उपाधि प्राप्त कर लिये हों अथवा वे अभ्यर्थी जिन्होंने 31 दिसम्बर, 2002 को अथवा इसके पूर्व संबंधित विषय में विश्वविद्यालय को पी-एच.डी. शोध-ग्रन्थ जमा किये हों, को नेट/स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता से छूट रहेगी, किन्तु जो पी-एच.डी. उपाधि प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं तो उन्हें नेट/स्लेट की अनिवार्यता होगी.

(ख) वे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश स्लेट 1-1-2000 के पूर्व उत्तीर्ण किये हों वे परीक्षा हेतु पात्र होंगे."

Raipur, the 15th September 2005

NOTIFICATION

No. F 1-103/2004/38.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Educational Service (Collegiate Branch) Recruitment Rules, 1990, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

(1) For entries "30 year" in column (5) in serial No. (ii) of Schedule III the entries "32 years" shall be substituted.

(2) For entries in column (6) in serial No. (ii) of Schedule III the following entries shall be substituted :—

"(a) Good academic record with atleast 55% marks or grade of "B" in the 7 point grading system obtained at the Master's degree level in the relavent subject or an equivalent degree from an Indian University or a Foreign University.

Note :—As per conversion table of the U.G.C., the percentage of marks shall be converted as follows :—

Grade	Grade point	% Equivalent
O	5.50-6.00	75-100
A	4.50-5.49	65-74
B	3.50-4.49	55-64
C	2.50-3.49	45-54
D	1.50-2.49	35-44
E	0.50-1.49	25-34
F	0.00-0.49	0-24

(b) Besides fulfilling the above qualification candidate should have cleared the eligibility test (NET) for Asstt. Professor conducted by the U.G.C./CSIR or SLET conducted by Chhattisgarh State."

(3) In column (7) in serial No. (ii) of Schedule III, the following shall be added :—

"(a) NET/SLET shall remain the compulsory requirement for appointment as Asstt. Professor even for candidate having Ph. D. Degree. However, the candidate who have completed M. Phil Degree by the 31st December, 1993 or have submitted Ph. D. thesis to the University on or before 31st Dec. 2002 are exempted from appearing in the NET/SLET examination. In case such candidates fail to obtain Ph. D. Degree, they shall have to pass the NET/SLET Examination.

(b) Those candidates who have cleared M.P. SLET examination before 1-11-2000 shall be eligible for the examination."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. डी. गुप्ता, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.